न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मि0नं0 624 / दावा / 2017
दायर 04 / 01 / 2017

उनवान

1. नंदकिशोर पुत्र अनारसिंह जाति भील निवासी महुवाखेड़ा हाल निवास रामपुरिया असनावर तह0झालरापाटन जिला झालावाड़
2. लाडवाई पुत्री अनारसिंह जाति भील निवासी महुवाखेड़ा हाल निवास रामपुरिया असनावर तह0झालरापाटन जिला झालावाड
3. कैलाशवाई पत्नि अनारसिंह जाति भील निवासी महुवाखेड़ा हाल निवास रामपुरिया असनावर तह0झालरापाटन जिला झालावाड

– वादी

बनाम्

1. बजरंगलाल पुत्र भंवरिया अनारसिंह जाति भील निवासी महुवाखेड़ा तह0 खानपुर जिला झालावाड
2. रामचंद्र पुत्र भंवरिया अनारसिंह जाति भील निवासी महुवाखेड़ा तह0 खानपुर जिला झालावाड
3. गंगाराम पुत्र भंवरिया अनारसिंह जाति भील निवासी महुवाखेड़ा तह0 खानपुर जिला झालावाड
4. मोतीलाल पुत्र भंवरिया अनारसिंह जाति भील निवासी महुवाखेड़ा तह0 खानपुर जिला झालावाड
5. रामसिंह पुत्र भंवरिया अनारसिंह जाति भील निवासी महुवाखेड़ा तह0 खानपुर जिला झालावाड
6. बिल्लूवाई पुत्री भंवरिया अनारसिंह जाति भील निवासी महुवाखेड़ा तह0 खानपुर जिला झालावाड
7. भंवरीवाई पुत्री काना पत्नि रामकिशन जाति भील निवासी टूंगणी तह0 असनावर जिला झालावाड़
8. मांगीवाई पुत्री काना पत्नि देवीलाल जाति भील निवासी महुवाखेड़ा तह0 खानपुर
9. धारासिंह पुत्र कंवरया जाति भील निवासी महुवाखेड़ा तह0 खानपुर
10. मोडूलाल पुत्र भीमा जाति भील निवासी महुवाखेड़ा तह0 खानपुर
11. घनराज पुत्र भीमा जाति भील निवासी महुवाखेड़ा तह0 खानपुर
12. कजोड़ीवाई पुत्री भीमा पत्नि गजू जाति भील निवासी बिसलाई तह0 खानपुर
13. कलावाई पुत्री भीमा पत्नि बिरधा जाति भील निवासी झरनिया तह0 झालरापाटन जिला झालावाड़
14. द्रोपतीवाई पुत्री भीमा पत्नि हरिराम जाति भील निवासी मालनवासा तह0 खानपुर

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

15. शाखा प्रबन्धक महो0 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खानपुर
16. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः– श्री ओमप्रकाश धनौलिया एडवोकेट – वादी
श्री अनिल मेहता एडवोकेट – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 13/11/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम महुवाखेड़ा की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 54 की 7 किता रकबा 40.05 बीघा आराजी वादीगण के पिता अनारसिंह व अन्य प्रतिवादीगण के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की है। वादीगण के पिता अनारसिंह तथा प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 आपस में भाई बहिन हैं। वादीगण के पिता एवं पति अनारसिंह व प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा है। ऐसे में वादीगण 1, 2 के पिता व वादी नं0 3 के पति अनारसिंह का 1/42 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। वादीगण का पिता एवं पति अनारसिंह आज से 20 वर्ष पूर्व अचानक घर से लापता हो गया जिसकी आज दिन तक भी कोई खबर नहीं है, लापता खातेदार अनारसिंह, वादीगण नंदकिशोर, लाडबाई का पिता व कैलाशबाई का पति है जो लापता होने के बाद आज तक लौटकर नहीं आया है। वादीगण ने लापता हुये अनारसिंह की काफी खोज खबर की, उनको रिश्तेदारों, मिलने वालों, मथुरा, वृन्दावन, हरिद्धार आदि तीर्थ स्थलों में भी खोज खबर की गई लेकिन अनारसिंह के जिन्दा होने की आज तक भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अनारसिंह को करीब करीब सभी जगह तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला है। यदि खातेदार जीवित होता तो स्वभाविक रूप से उसके बारे में सुना होता, देखा होता। इतने लम्बे अंतराल में उसके जीवित होने की कोई संम्भावना नहीं है। इस कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार उनकी मृत्यु हो जाने की वैद्यानिक अवधारणा हो गई है। ऐसे में वादीगण, अनारसिंह के स्थान पर आराजी के खातेदार टीनेंट घोषित हो गये हैं। खातेदार अनोखबाई, कल्याणीबाई, ज्यानाबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारीसान वाद में पक्षकार मौजूद हैं। इसी प्रकार बाबूलाल लाऔलाद फौत हो चुका है, जिसका भाई धारासिंह है, जो वाद में पक्षकार है। अनारसिंह के लापता होने के प्श्चात वादी नं03 कैलाशबाई अपने नाबालिग बच्चों को लेकर उनकी परवरिश करने के लिये अपने पिता के पास ग्राम असनावर चली गई, तब से ही वादीगण असनावर में रह रहे हैं और समय समय पर खेतीवाढ़ी को देखने आते रहते हैं। वादग्रस्त आराजी परवन सिंचाई परियोजना के डूब क्षैत्र में आ रही है तथा राज्य सरकार डूब में आने वाली आराजी का मुआवजा राशि देगी। ऐसी स्थिति में अनारसिंह के लापता होने पर उसक आराजी के खातेदार वादीगण है। इसलिये वाद पेश करना पड़ रहा है। दि0 25.12.2016 को तहसीलदार सा0 से उक्त आराजी वादीगण के खाते लगाने की कहने एवं उनके द्वारा न्यायालय में वाद दायर करने की सलाह देने से वाद कारण

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर इस आशय की डिक्री सादिर जारी फरमायी जावे कि ग्राम महुवाखेडा की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 54 की 7 किता रकबा 40.05 बीघा आराजी में वादीगण को खातेदार अनारसिंह के स्थान पर 1/42 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। खाते से अनारसिंह का नाम खारिज किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझें, वह भी अता फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ने जर्ये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादीगण के वाद के प्रति सहमति प्रकट करते हुये इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण 4, 7, 13, 14, 15 व 16 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन मे वादी नंदकिशोर भील, गवाह मोतीलाल भील, गंगाराम भील, गोविंद भील के बयान दर्ज कराये गये तथा नकल जमाबंदी ग्राम महुवाखेडा खाता सं0 54 प्रदर्श करायी। तत्पश्चात अधिवक्ता वादी की वाद पर बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम महुवाखेडा की 40.05 बीघा वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता एवं पति अनारसिंह के शामलाती खाते की है, जिसमे अनारसिंह का 1/42 हिस्सा है। खातेदार अनारसिंह आज से करीब 20 वर्ष पूर्व अचानक घर से लापता हो गया, जिसे कई जगह तलाश किया किन्तु इतने अरसे बाद भी उसका जीवित होने का कोई पता नहीं चल पाया है। इतने लम्बे अंतराल खातेदार मे अनारसिंह के जीवित होने की कोई संम्भावना नही है। इस कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार उनकी मृत्यु की अवधारणा हो गयी है। ऐसे मे वादीगण खातेदार अनारसिंह के हिस्से की आराजी के खातेदार टीनेंट हो गये है। हमने खाते की नकल, ग्राम पचायत अकावदखुर्द का प्रमाण पत्र एवं गवाहान के बयान कराये है, जिनसे हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा स्वीकार कर डिक्री करें तथा वादीगण को खातेदार अनारसिंह के हिस्से पर खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस मे प्रकट किया कि हमने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुये इकबालिया जवाबदावा पेश किया है। वादीगण का वाद सही है। इनका वाद डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण ने खातेदार अनारसिंह को 20 वर्षों से लापता बताते हुये उसकी मृत्यु की अवधारणा मानते हुये ग्राम महुवाखेडा की वादग्रस्त आराजी 40.05 बीघा में खातेदार अनारसिंह के हिस्से पर खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने का यह वाद पेश किया है। ग्राम महुवाखेडा की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 54 की 7 किता रकबा 40.05 बीघा आराजी मे अनारसिंह पुत्र भवरया जाति भील निवासी महुवाखेडा 1/42 हिस्से का खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वादीगण ने अपने वाद को साबित करने के लिये कोई ठोस लिखित साक्ष्य पेश नही किया है किन्तु वादी नंदकिशोर भील,

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

गवाह मोतीलाल भील, गंगाराम भील, गोविंद भील के बयानों, प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 के इकबालिया जवाबदावा एवं ग्राम पंचायत अकावदखुर्द के प्रमाण–पत्र दिनांक 23.06.2019 से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसमें खातेदार अनारसिंह का 1/42 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है तथा वादी नं0 1, 2 खातेदार अनारसिंह की संतान है। ऐसे में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी में खातेदार अनारसिंह के हिस्से 1/42 में वादी नं01, 2 व खातेदार अनारसिंह का 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। वहीं इस पुश्तैनी आराजी में वादी नं0 3 खातेदार अनारसिंह की पत्नि का कोई हक, अधिकार नहीं बनता है। ऐसे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यहां हम खातेदार अनारसिंह के 1/42 हिस्से में वादी नं0 1, 2 को 1/126, 1/126 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः वाद, वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम महुवाखेड़ा की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 54 की 7 किता रकबा 40.05 बीघा आराजी में खातेदार अनारसिंह के 1/42 हिस्से में वादी नं0 1 को 1/126 हिस्से, वादी नं0 2 को 1/126 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 13/11/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.22 11:56:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: